

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर  
(अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग)



क्रमांक/अ.छा.क.वि./2013/ 849

जबलपुर, दिनांक 20/8/13

प्रति,

विभागाध्यक्ष,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,

जबलपुर

विषय- ऐन्टी रैगिंग शपथ-पत्र नरवाने के संबंध में ।

महोदय,

पूर्व में इस कार्यालय द्वारा समस्त नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा एवं उनके पालकों द्वारा ऐन्टी रैगिंग शपथ-पत्र आवश्यक रूप से भरवाए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, इन शपथ-पत्रों के अभाव से छात्रों का प्रवेश स्वाई नहीं माना जावेगा, ऐसा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय, यू.जी.सी. एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में कहा गया है। ऐन्टी रैगिंग शपथ-पत्रों के प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एवं यू.जी.सी. की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रैगिंग एक कुप्रथा एवं दण्डनीय अपराध है जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने "जीरो टॉलरेंस" नीति के तहत रखा है। विश्वविद्यालय परिसर को रैगिंग मुक्त रखने में आपका सक्रिय योगदान अपेक्षित एवं आवश्यक है।

आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग में कितने नवप्रवेशित छात्र-छात्राएँ (2013-14) तथा उनमें से अबतक कितने छात्र-छात्राओं एवं उनके पालकों द्वारा शपथ-पत्र भरवाया जा चुका है यदि नहीं तो उसके कारणों का अन्वेषण करते हुए इस कार्यालय को 03 (तीन) दिवसों में आवश्यक रूप से सूचित करने का कष्ट करें।

धन्ववाद

सादर

भवदीय

(प्रो. सुरेन्द्र सिंह)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निज सचिव, कुलपति/कुलसचिव रा.दु.वि. जबलपुर।
2. अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद रा.दु.वि. जबलपुर।
3. प्रो. राजीव दुबे, अध्यक्ष ऐन्टी रैगिंग समिति वि.वि. शि.वि. रा.दु.वि. जबलपुर।
4. छात्रपाल देवेन्द्र पुरूष छात्रावास रा.दु.वि. जबलपुर।
5. छात्रपाल कस्तूरबा महिला छात्रावास रा.दु.वि. जबलपुर।
6. प्रो. पी.के. सिधल, ऐन्टी रैगिंग निरोधक दस्ता रा.दु.वि. जबलपुर।

रानी दुर्गावती  
विश्वविद्यालय,  
जबलपुर

भवदीय

(प्रो. सुरेन्द्र सिंह)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर।